प्रेस नोट जनपद प्रतापगढ़ दिनांक – 14.02.2021

दिनांक 28.01.2021 को थानाक्षेत्र पट्टी में हुए बसकाली देवी हत्याकाण्ड का सफल अनावरण महिला के पति ने ही की थी हत्या, घटना में शामिल 04 अभियुक्त गिरफ्तार घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के थाना पट्टी पुलिस को दिनांक 28.01.2021 को थानाक्षेत्र पट्टी में हुए बसकाली देवी हत्याकाण्ड का सफल अनावरण करते हुये घटना से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल को बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. **झुन्नीलाल प्रजापति पुत्र स्व0 मकदूम प्रजापति नि0 गोबिन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद** प्रतापगढ।
02. **अजय प्रजापति पुत्र विजय प्रजापति नि0 गोबिन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद** प्रतापगढ।
03. **प्रदीप कुमार प्रजापति उर्फ अनिल पुत्र मोहनलाल प्रजापति नि0 गोबिन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद** प्रतापगढ।
04. **विजय कुमार पुत्र झुन्नीलाल प्रजापति नि0 गोबिन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद** प्रतापगढ।

बरामदगी–

01. **घटना में प्रयुक्त दो मोटर साइकिल (01. हीरो स्प्लेण्डर नं0 यूपी 72 यू 8075 02. बजाज बाक्सर नं0 यूपी 72 ..3204)।**

दिनांक 28.01.2021 को थानाक्षेत्र पट्टी के पहलमापुर नहर के पास एक महिला बसकाली देवी उम्र लगभग 65 वर्ष का शव पाया गया था। इस सम्बन्ध में मृतका के पति वादी झुन्नीलाल प्रजापति पुत्र स्व0 मकदूम प्रजापति नि0 गोबिन्दपुर थाना आसपुर देवसरा जनपद प्रतापगढ द्वारा दिनांक 28.01.2020 को ही सुबह थाना पट्टी पर अपनी पत्नी की गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। इस सम्बन्ध में वादी की तहरीर पर मु0अ0सं0 22/21 धारा 302, 201 भादवि का अभियोग बनाम अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री शिवहरी मीना द्वारा उक्त घटना के शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना पट्टी पुलिस को कड़े निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री सुरेन्द्र प्रसाद द्विवेदी तथा क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री प्रभात कुमार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक पट्टी द्वारा साक्ष्य संकलन/सुरागरसी–पतारसी की जा रही थी। विवेचना के दौरान संकलित किये गये तथ्यों/साक्ष्यों के आधार अभियुक्तगण झुन्नीलाल प्रजापति, अजय प्रजापति, प्रदीप कुमार प्रजापति उर्फ अनिल व विजय कुमार प्रजापति का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार सम्भावित स्थानों पर चेकिंग/तलाशी/दबिश दी जा रही थी । इसी क्रम में आज दिनांक 14.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक पट्टी श्री नरेन्द्र सिंह मय हमराह द्वारा थानाक्षेत्र पट्टी के भरोखन नहर पुलिया के पास से प्रकाश में आये चारो अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 02 अदद मोटर साइकिल बरामद किया गया।

पूछताछ का विवरण–

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्त झुन्नीलाल प्रजापति ने बताया कि मैने दो शादियां की थी, मेरी पहली पत्नी से एक लड़का विजय कुमार प्रजापति है, मेरी दूसरी पत्नी बसकाली देवी से कोई संतान नही है। रेडीगारापुर प्राइमरी स्कूल के पास मेरी फर्नीचर की दुकान है जहां पर मै अपनी पत्नी बसकाली देवी के साथ रहता था। मेरी पत्नी बसकाली देवी मुझसे आये दिन घरेलू बातों को लेकर झगड़ा किया करती थी जिससे घर में कलह बनी रहती थी। दिनांक 27.01.2021 को भी बसकाली देवी ने मुझसे झगड़ा किया तथा खाना भी नही बनाई, इन्ही बातों से गुस्से में आकर रात्रि में मैने अपनी पत्नी बसकाली देवी को गला दबा कर मार डाला तथा अपने पुत्र विजय कुमार, नाती अजय कुमार व मेरे भतीजे का लड़का प्रदीप कुमार प्रजापति उर्फ अनिल के साथ मिलकर शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। मेरे भतीजे का लड़का प्रदीप कुमार प्रजापति उर्फ अनिल व नाती अजय कुमार प्रजापति द्वारा शव को मोटर साइकिल पर बैठने की मुद्रा में बीच में रख लिया गया तथा मेरा पुत्र विजय कुमार प्रजापति एक अन्य मोटर साइकिल से साथ जाकर पहलमापुर नहर फाटक के आगे नहर की दूसरी पटरी पर शव को फेंक दिया तथा बसकाली देवी के साल व चप्पलों को वहीं रास्ते में फेंक आये। इसके बाद पूर्व योजना के अनुसार हम लोगों ने पुलिस को गुमराह करने के लिये बसकाली देवी के अपहरण की झूठी सूचना डायल 112 पर व आसपास के लोगों को दी तथा सोशल मीडिया पर भी अपहरण की झूठी खबर चलवाई।

जब हम लोगों को यह पता चला कि पुलिस को यह जानकारी हो चुकी है कि हम लोगों द्वारा ही बसकाली देवी की हत्या कर शव को फेंक दिया गया था तो पुलिस से बचने के लिये हम लोग भागने की फिराक में थे कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिये गये।

पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र सिंह, उ0नि0 धर्मेन्द्र सिंह, आरक्षी विवेक मिश्रा, आरक्षी अमित कुमार सिंह व म0आरक्षी निरूपमा मौर्या थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़।

विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस टीम से अभद्रता व मारपीट करने वाला 01 अभियुक्त गिरफ्तार

कल दिनांक 13.02.2021 को समय करीब 20.00 बजे थानाक्षेत्र जेठवारा के अंसारी मोहल्ला मेन रोड, डेरवा में टाटा मैजिक एक्सटी, गाडी नं0 यूपी 72 टी 4562 व एक कार में टक्कर होने तथा दोनों पक्षों में विवाद की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम के साथ एक पक्ष के उदय मिश्रा पुत्र गौरीशंकर मिश्रा नि0 डेरवा बाजार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़ द्वारा अभद्रताध्मारपीट व गाली गलौज किया गया तथा कार्य सरकार में बाधा डालते हुए जान से मारने की धमकी दी गई। इस सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 61/2021 धारा 323, 504, 506, 332, 353 भादवि व 7 सीएलए एक्ट तथा दूसरे पक्ष के पीड़ित राजकुमार सरोज उपरोक्त की तहरीर पर मु0अ0सं0 62/21 धारा 269, 427, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर आरोपी उदय मिश्रा उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण–

- उदय मिश्रा पुत्र गौरीशंकर मिश्रा नि0 डेरवा बाजार थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम– थानाध्यक्ष संजय कुमार पाण्डेय मय हमराह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार (थाना अन्तू)

- जनपद के थाना अन्तू से उ0नि0 श्री निकेत भारद्वाज मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 427/20 धारा 307 भादवि व मु0अ0सं0 429/20 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त उमाशंकर उर्फ भाऊ पुत्र बाबू लाल निवासी मटियारी, दादू पुरनसिंह थाना अन्तू, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर से गिरफ्तार किया गया है।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार (थाना मांधाता)

- जनपद के थाना मांधाता से उ0नि0 श्री दयाल दास मय हमराह द्वारा मु0अ0सं0 104/19 धारा 24/35 एलएम एक्ट से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त अमित प्रताप सिंह पुत्र देव नरायण सिंह निवासी हरखपुर थाना मांधाता जनपद प्रतापगढ़ को उसके गांव से गिरफ्तार किया गया है।